न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 19/2011

उनवान

कन्हैयालाल गरूडा पुत्र श्री श्रवणलाल उम्र 55 वर्ष जाति गरूडा, निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर

..... अपीलान्ट .....

बनाम

1. पांचूराम बलाई पुत्र भैरू जाति बलाई उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम मोरडा पोस्ट मरवा (नरैना) तहसील दूदू जिला जयपुर हाल ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 05.08.2011

आदेश

दिनांक :– 5.12.2019

अपील कें सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर स्थित खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.58 व 1811 मिन रकबा 0.25 कुल रकबा 0.83 की भूमि की खातेदार पानी बेवा नारायण, श्योजी, सुवा व महेन्द्र, उगमा, हरी पुत्र नारायण थे। श्रीमति पानी व उनके पुत्रो ने उपरोक्त वर्णित समस्थत भूमि 8.83 हैक्टेयर अपीलांन्ट को बेची । इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण

Scanned by CamScanner

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संख्या 747 दिनांक 13.11.2010 के द्वारा भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करते हुए जमाबंदी सम्वत 2067 में भी अपीलान्ट का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज हो गया। रेस्पोडेन्ट पांचूराम ने दिनांक 26.7.2011 को एक फर्जी कूटरचित मुख्त्यारनामा आम तैयार किया जिसमें उन्होने अंकित किया कि विवादित भूमि को बेचाने का अधिकार अपीलान्ट ने उन्हे (पांचूराम को) दिया है। इस कूटरचित मुख्तयारनामा आम के आधार पर रेस्पोडेन्ट पांचूराम ने अपने ही नाम से उक्त विवादित भूमि का बेचाननामा तैयार कर उसे सबि रजिस्ट्रार कार्यालय अजमेर में दिनांक 28.7.2011 को तस्दीक करवाया । रेस्पोडेन्ट पांचूराम ने दिनांक 28.7.2011 को जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र फर्जी एवं कूटरचित मुख्तयारनामा आम के आधार पर रजिस्टर्ड करवाया उसके आधार पर उन्होने ग्राम पंचायत चाचियावास से नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 5.8.2011 को स्वीकार करा लिया । ग्राम पंचायत चाचियावास का विवादित आदेश न्याय नियम व रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है जबकि अपीलांन्ट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। मामला विवादि होने से नामांतकरण को तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत विवादित नामांतकरण को तस्दीक करने के अधिकार तहसीलदार को होने के कारण ग्राम पंचायत चाचियावास द्वारा तस्दीक किया गया नामांतकरण संख्या 16 बिना क्षेत्राधिकार के पारित होने से निरस्तनीय है। विवादित आदेश फर्जी व गूटरचित दस्तावेजो के आधार पर स्वीकृत हुआ है। अपीलान्ट ने कभी भी रेस्पोडेन्ट पांचूराम को विवादित भूमि को बेचने के अधिकार के रूप में मुख्तयारआम नियुक्त नही किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जिस मुख्तयारनामा आम के आधार पर अपने ही नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक कराया है उस मुख्तयारनामा आम को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के कारण अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट पांचूराम के विरूद्व पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर में मुकदमा अन्तर्गत धारा 420/467/468/471/120 बी के तहत दर्ज करा दिया है । जिसका अनुसंधान जारी है। अपीलान्ट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है इसलिये उसने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामें से दिनांक 8.8.2011 को बेचा दी। रेस्पोडेन्अ नम्बर 1 ने उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 8.8.2011 को निरस्त कराने के लिये अपीलान्ट के विरूद्व एक दावा माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय (संख्या–3) अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया । रेस्पोडेन्ट ने इस दावे के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय से इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 7.10.2011 को किया । इस निर्णय में माननीय अपर जिला न्यायाधीश ने कथित विक्रय अनुबंध मुख्तयारनामे के सबंध में रेस्पोडेन्ट पांचूराम का मामला अत्यन्त कमजोर माना है तथा विक्रय अंतरण की परिस्थिति संदिग्ध मानी है। ऐसे दस्तावेज के आधार पर नामांतकरण स्वीकार करना

Scanned by CamScanner

नियम वि द्व है। और निरस्तनीय है। अपीला जानकारी कि तिथि से अन्दर मियाद है फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील स्वीकार की जावे नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 5.8.2011 निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए । रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से श्री एस.के.व्यास अधिवक्ता उपस्थित आये।

रेस्पोडेन्ट 1 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने बाद बेचान नामांतकरण दर्ज होने से मात्र लाभ लालच वश बेचान आर्थिक प्रलोभन प्राप्त करने के उदेश्य से उक्त झूठा मुमदमा दर्ज करवाया था परन्तु प्रार्थी के कथनानुसार अभी तक अनुसंधान जारी है तो प्रार्थी को उसके नतीजो का इंतजार करना चाहिए । रेस्पोडेन्ट को अभी तक किसी भी न्यायालय ने दोष सिद्वि नही किया है मात्र पुलिस द्वारा अनुसधान करने से रेस्पोडेन्ट दोषी नही हो जाता । रेस्पोडेन्ट पांचूराम ने दिनांक 26.7.2011 को फर्जी व कूटरचित मुख्तयारनामा आम तैयार करके अपने नाम बेयनामा तस्दीक करवा लिया वही इस अपील में अपीलान्ट ने कथन किया है अपीलांट भूमि का रिकार्डेड खातेदार होने के कारण उसने भी आगे बेचान करके दिनांक 8.8.2011 को दूसरे व्यक्ति के नाम बैयनामा मरवा दिया । प्रार्थी संच्चा होता व इमानदार होता तो दूसरो बैयनामा रजिस्टर्ड करवाने की बजाय रेस्पोडेन्ट के हक में हुए बैयनामा को शून्य प्रभावहीन घोषित करवाने की समक्ष न्यायालय में चाराजोही करता । नामान्तकरण एक समरी कार्यवाही है जिसके तहत हक अधिकार के निर्धारण नही किया जा सकता है साथ ही विवादित भूमि के सबंध में सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन होना निवेदन किया गया । अतः अपील अपीलांटन खारिज फरमावे।

तत्पश्चात धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। धारा 5 में अपीलार्थी का कथन है विवादित नामान्तकरण की जानकारी वर्ष 2011 को हुई उससे पूर्व कोई जानकारी नही थी रेस्पो. द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही की है कि उक्त तिथी से पूर्व अपीलार्थी को विवादित नामान्तकरण की जानकारी रही हो ना जानकारी का समय न्यायहित में समयावधि है अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाता है व अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील स्वयं द्वारा कूटरचित मुख्त्यारआम के नाम पर विक्रय पत्र दिनांक 28.7.2011 निष्पाद्वित होना स्वीकार किया है इस प्रकार दस्तावेजो की कूटरचना इत्यादि की बैधता को निर्णित किए जाने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित नही करता है। तथा अपीलांट अपील में उक्त दस्तावेजी के

Scanned by CamScanner

सबंध में नियमित सिविल वाद माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय (संख्या–3) अजमेर के समक्ष विचाराधीन होना भी स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त सभी तथ्यों का निर्धारण नामान्तकरण की समरी कार्यवाही के तहत भी किया जाना सम्भव नही है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.10 12:33:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: